सिविल मिसेलेनियस

समक्ष न्यायमूर्ति राजेंद्र नाथ मित्तल

जय मल.-याचिकाकर्ता।

बनाम।

हरियाणा राज्य आदि,-प्रतिवादी।

सिविल रिट नं. 1972 का 1475।

17 अगस्त, 1972।

पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम (1953 का चौथा) हरियाणा अधिनियम द्वारा संशोधित (XIX of 1971)- धारा 5,9,10 और 11-हरियाणा ग्राम पंचायत चुनाव नियम (1971)-नियम 12-धारा 10 के तहत पहले चुनाव कराए बिना आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए पंच का नामांकन-क्या वैध हैपंच-शपथ लिए बिना ग्राम पंचायत का सदस्य होना।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 की धारा 11 के साथ पठित हरियाणा ग्राम पंचायत चुनाव नियम, 1971 के नियम 12 के उपनियम (2) के अधीन उपायुक्त द्वारा निर्वाचित पंच की मृत्यु के कारण हुई रिक्ति में पंच का नामांकन वैध नहीं है, जहां वह अधिनियम की धारा 10 के अधीन पंच के चुनाव के लिए चुनाव कराने में विफल रहता है। यदि समय के भीतर चुनाव कार्यक्रम के प्रकाशन के अभाव में चुनाव आयोजित नहीं किया जा सकता है, तो किसी भी कारण से, उपायुक्त को नियमों के नियम 42 के तहत इसे आयोजित करने के लिए समय बढ़ाना चाहिए। यह केवल तभी है जब नियम 40 के साथ पठित धारा 10 के तहत प्रक्रिया द्वारा आकस्मिक रिक्ति को भरने में निराशा हुई है कि धारा 11 के तहत निर्धारित प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति को अंतिम उपाय के रूप में लागू किया जाना है।

(Paras 3 and 5)

यह अभिनिर्धारित किया गया कि पंजाब ग्राम पंचायत (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 1971 और नियमों के नियम 37 द्वारा यथा संशोधित अधिनियम की धारा 5 (6) और 9 के उपबंधों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अधिनियम की धारा 3 के खंड (i) में यथा परिभाषित 'पंच' शब्द का अर्थ ग्राम पंचायत का कोई सदस्य है चाहे उसे पद की शपथ दिलाई गई हो या नहीं। यह सही नहीं है कि जब तक किसी पंच को शपथ नहीं दिलाई जाती, तब तक वह अधिनियम में परिभाषित शब्द के अर्थ के भीतर पंच नहीं बन जाता है। नियमों के नियम 12 का खंड (2) एक पंच के नामांकन से संबंधित है जहां वैध रूप से नामित उम्मीदवारों की संख्या कम है। भरे जाने वाले पदों की संख्या से अधिक और ऐसे मामले में लागू नहीं होता है जहां पंचों के सभी पदों को भरने के लिए चुनाव पहले ही हो चुका है और उसके बाद ऐसे निर्वाचित पंचों में से एक की शपथ लेने से पहले ही मृत्यु हो जाती है।

(Para 7)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन याचिका में प्रार्थना की गई है कि प्रत्यर्थी सं. 2, दिनांक 2 मई, 1972, और आगे यह प्रार्थना करते हुए कि रिट याचिका के अंतिम निर्णय के लंबित रहने पर, 4 मई, 1972 के नोटिस के माध्यम से, उन्होंने इस पर रोक लगा दी।

याचिकाकर्ता की ओर से सुरिंदर सरूप और के. एस. सैनी, अधिवक्ता।

एच. एन. मेहतानी; सहायक महाधिवक्ता, हरियाणा, उत्तरदाता 1 से 4 के लिए। आर. के. छोकर, अधिवक्ता, उत्तरदाताओं के लिए 5 से 8।

फैसला

मित्तल, जे।यह रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत दायर की गई है, जिसमें अनुरोध किया गया है कि उपायुक्त का आदेश (याचिका के अनुलग्नक 'सी' की प्रतिलिपि) जिसके द्वारा उन्होंने हरियाणा ग्राम पंचायत चुनाव नियम, 1971 (इसके बाद 'नियम' के रूप में संदर्भित) के नियम 12 के उप-नियम (2) के तहत ग्राम पंचायत राय मलिकपुर, तहसील नारनौल के निवासी श्री फुसा राम के पुत्र श्री सुल्तान को ग्राम पंचायत राय मलिकपुर का पंच नियुक्त किया है, को रद्द कर दिया जाए।

(2) जिन तथ्यों ने इस रिट याचिका को जन्म दिया है, वे हैं कि गांव राय मलिकपुर की ग्राम पंचायत के चुनाव जून/जुलाई, 1971 में हुए थे, और याचिकाकर्ता के साथ बिरधा राम, प्रतिवादी नं। 8, राम नारायण, प्रतिवादी नं। 6, लाधू राम, प्रतिवादी नं. 7 और सुखा रंत के पुत्र जीता राम पंच के रूप में चुने गए। चुनाव के बाद 1972 के जनवरी के पहले सप्ताह में जीता राम की मृत्यु हो गई और इस तरह ग्राम पंचायत में एक रिक्ति हो गई। संबंधित अधिकारियों ने उनकी मृत्यु के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए नए सिरे से चुनाव कराने के लिए कदम नहीं उठाए और याचिकाकर्ता ने उत्तरदाता 1 और 2 को लिखित रूप में एक आवेदन दिया जिसमें उनसे बिना किसी देरी के चुनाव आयोजित करके रिक्ति को भरने का अनुरोध किया गया। यह आगे आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता के आवेदन पर कोई कार्रवाई किए बिना, प्रतिवादी नं। 2 प्रत्यर्थी नं. 3 एक महिला पंच को सह-चुनने के लिए शेष पंचों की बैठक बुलाना और पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के तहत एक पंच का चुनाव करना। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने बिरधा राम के साथ, प्रतिवादी संख्या के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमा दायर किया। 3, 4, 6 और 7 प्रार्थना करते हैं कि जब तक पंचायत की सभी सीटें नहीं भर दी जाती हैं, तब तक उन्हें उपरोक्त बैठक आयोजित करने से रोका जाए। अधीनस्थ न्यायाधीश ने एक अंतरिम एकतरफा निषेधाज्ञा जारी की, जैसा कि अनुरोध किया गया था और बाद में इसकी पुष्टि की गई। दूसरा आवेदन याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी नं. 1 कि ग्राम पंचायत में रिक्तता को एक चुनाव आयोजित करके भरा जाना चाहिए जिसे उसके द्वारा प्रत्यर्थी नं। 2 दिनांक 21 अप्रैल, 1972 के संप्रेषण द्वारा आवश्यक कार्रवाई के लिए (याचिका के लिए अनुलग्नक 'क' की प्रतिलिपि) जो प्रत्यर्थी सं. 1, मामले को जिला विकास और पंचायत अधिकारी को भेज दिया। उसके बाद, प्रतिवादी नं. 2, उनके 28 अप्रैल, 1972 के आदेश के अनुसार, सुल्तान को पंच के रूप में नामित किया गया। बाद में, उन्होंने 2 मई, 1972 को जीता राम की मृत्यु के कारण हुई रिक्ति में सुल्तान को ग्राम पंचायत के सदस्य के रूप में नियुक्त करने के लिए एक औपचारिक आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ उपरोक्त आदेश को इस आधार पर चुनौती दी है कि आक्षेपित आदेश (याचिका के लिए अनुलग्नक 'ग' की प्रतिलिपि) को नियमों के नियम 42 के साथ पठित अधिनियम की धारा 10 के प्रावधानों के विपरीत बनाया गया है। उन्होंने आगे कहा है कि रिक्ति को चुनाव द्वारा भरा जाना चाहिए था न कि नामांकन द्वारा। आगे यह आरोप लगाया गया है कि अधिनियम की धारा 11 का सहारा केवल तभी लिया जाना चाहिए जब नियमों के नियम 42 के साथ पठित धारा 10 के तहत चुनाव के माध्यम से उपचार का अनुपालन किया गया हो और समाप्त हो गया हो। वर्तमान मामले में चूंकि अधिनियम की धारा 10 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई थी, इसलिए अधिनियम

की धारा 11 के तहत कार्यवाही अवैध और अधिकार क्षेत्र से बाहर है। उत्तरदाताओं के तीन अलग-अलग समूहों द्वारा तीन रिटर्न दाखिल किए गए हैं-पहला सुल्तान प्रतिवादी नं। 5, राम नारायण और लाधु राम द्वारा दूसरा, उत्तरदाता 6 औरः 7 और तीसरा उपायुक्त द्वारा, उत्तरदाता नं। 2. उन सभी ने रिट-याचिकाकर्ता के आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि प्रतिवादी नं। 5 कानूनी और उचित था। उपायुक्त के विवरण में आगे कहा गया है कि लीताराम की मृत्यु के कारण पंच की रिक्तता के लिए उपचुनाव कराने की तारीख 21 अप्रैल, 1972 तय की गई थी, लेकिन प्रभारी ब्लॉक डीएलओपीएनटी और पंचायत अधिकारी, नंगल चौधरी ने समय के भीतर चुनाव कार्यक्रम के प्रकाशन में असमर्थता दिखाई और कहा कि इस कारण से चुनाव नहीं हो सके। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि नियुक्ति उनके द्वारा नियम 12 के उपनियम (2) के साथ पठित अधिनियम की धारा 11 के प्रावधानों के अनुसार सख्ती से की गई है।

(3) याचिकाकर्ता के विद्वत वकील द्वारा किया गया पहला निवेदन यह था कि धारा 10 को प्रतिवादी नं. 2, जब उन्होंने अधिनियम की धारा 11 के तहत आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के अनुसार, अधिनियम की धारा 11 के तहत नामांकन केवल तभी किया जा सकता है, जब किसी भी कारण से धारा 10 के तहत पंच का चुनाव नहीं किया गया हो। अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने इस न्यायालय महाबीर प्रसाद बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (1) के एक खंड पीठ के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें यह इस प्रकार देखा गया हैः-"मेरे विचार से धारा 11 के प्रावधानों को तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि धारा 10 की प्रक्रिया अभी भी जारी है। यह केवल तभी है जब नियम 40 के साथ पठित धारा 10 के तहत प्रक्रिया द्वारा आकस्मिक रिक्ति को भरने से निराशा हुई है कि अंतिम उपाय के रूप में, धारा 11 के तहत निर्धारित प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति का आह्वान किया जाना है। इसलिए धारा 11 में 'यदि किसी कारण से' शब्दों का उपयोग किया गया है, तो उन्हें भरने के लिए चुनाव कराने के बजाय, उन्हें भरने के लिए चुनाव कराने के बजाय, निर्धारित प्राधिकारी को अपने स्वयं के नामनिर्देशितों की नियुक्ति करने के लिए व्यापक और दिशाहीन शक्ति देने के लिए उनके संदर्भ से फाड़ नहीं दिया जाना चाहिए। मेरे विचार में 'यदि किसी कारण से' शब्द स्पष्ट रूप से 'निर्वाचित नहीं हैं' शब्दों से संबंधित हैं और इस संदर्भ में पढ़ा जाता है तो यह निहित है कि इसका कारण प्राथमिक चुनाव प्रक्रिया की विफलता से जुड़ा होना चाहिए। ऐसी कई संभावनाओं में से एक की कल्पना करने के लिए, एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जब कोई योग्य व्यक्ति उपलब्ध न हो या कोई भी पद के लिए चुनाव की मांग करने के लिए आगे न आए। इस प्रकार कारण वह होना चाहिए जो धारा 10 और नियम 40 के प्रावधानों को विफल करने और निरस्त करने का प्रभाव नहीं रखता है जो आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए एक अनिवार्य वैकल्पिक प्रक्रिया निर्धारित करता है। किसी भी मामले में अधिकारी अपने स्वयं के कार्य से पहले चुनाव की रोक का आदेश देकर चुनाव की प्रक्रिया को विफल नहीं कर सकते हैं और फिर इस रोक आदेश को चुनाव कराने के अनिवार्य प्रावधानों को पारित करने का आधार बना सकते हैं। यह, मेरे विचार में, स्पष्ट रूप से धारा 11 के तहत शक्ति का वैध उपयोग नहीं होगा।

(4) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी नं। 2 ने चुनाव कराने के लिए उचित कदम नहीं उठाए। पर! दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का तर्क वर्तमान मामले की तरह अच्छा नहीं है। उपायुक्त ने चुनाव के लिए एक तिथि निर्धारित की, लेकिन वह 21 अप्रैल, 1972 को आयोजित नहीं की जा सकी, क्योंकि खंड विकास और पंचायत अधिकारी, नंगल चौधरी ने समय के

भीतर चुनाव कार्यक्रम के प्रकाशन में असमर्थता दिखाई और उक्त कारण से चुनाव नहीं हो सका। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि उपायुक्त ने प्रतिवादी नं. 5 नियम 12 के उपनियम (2) के साथ पठित धारा 11 के अधीन।

(5) पक्षकारों के विद्वान वकील की दलीलें सुनने के बाद, मेरा विचार है कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के तर्क को बहुत बल मिला है। चुनाव न कराने का कारण उचित होना चाहिए। उपायुक्त द्वारा वर्तमान मामले में जो कारण दिया गया है, वह अधिनियम की धारा 10 के तहत एक अच्छा कारण नहीं प्रतीत होता है। पहले उदाहरण में, वह वापसी के पैरा 4 में कहते हैं कि चुनाव कार्यक्रम नहीं हो सका। आम चुनावों के कारण मार्च के महीने में पहले तैयार किया जाए। मुझे बताया गया है कि आम चुनाव 11 और 12 मार्च, 1972 को हुए थे। उसके बाद, वर्तमान चुनाव के लिए कार्यक्रम तैयार किया जा सकता है। उक्त तिथि के बाद, चुनाव 21 अप्रैल, 1972 के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन यह उस आधार पर आयोजित नहीं किया गया था जो पर्याप्त आधार प्रतीत नहीं होता था। खंड विकास और पंचायत अधिकारी को कार्यक्रम के अनुसार चुनाव कराना चाहिए था और यदि ऐसा नहीं होता तो उपायुक्त नियमों के नियम 42 के तहत समय बढ़ा सकते थे। उक्त नियम में यह प्रावधान है कि यदि नियमों के अनुसार रिक्ति होने के साठ दिनों के भीतर चुनाव नहीं हो सकता है, तो उपायुक्त समय बढ़ा सकते हैं यदि उनकी राय में इस तरह के विस्तार के लिए पर्याप्त आधार हैं। विद्वत खंड पीठ ने यह भी कहा है कि यदि अधिकारी अपने स्वयं के कार्य द्वारा पहले रोक का आदेश देकर चुनाव की प्रक्रिया को विफल करते हैं और फिर इसे चुनाव कराने के अनिवार्य प्रावधानों को पारित करने का आधार बनाते हैं, तो यह अधिनियम की धारा 11 के तहत शक्ति का वैध उपयोग नहीं होगा। मैं महाबीर प्रसाद की अनुज्ञा (1) (उपर्युक्त) में विद्वत खंड पीठ की टिप्पणियों से बाध्य हूं और मानता हूं कि अधिनियम की धारा 14 के साथ पठित नियमों के नियम 12 के उपनियम (2) के अधीन पंच का नामनिर्देशन वैध नहीं है क्योंकि उपायुक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन पंच के निर्वाचन के लिए निर्वाचन कराने में विफल रहा है।

(6) याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील द्वारा किया गया अगला निवेदन यह था कि उपायुक्त द्वारा नियमों के नियम 12 के उप-नियम (2) के तहत शक्तियों का प्रयोग किया गया था, जो निम्नलिखित शर्तों में हैः - 12 (2) यदि वैध रूप से नामित उम्मीदवारों की संख्या भरी जाने वाली सीटों की संख्या से कम है, तो निर्वाचन अधिकारी निर्वाचित उम्मीदवारों की एक सूची * उपायुक्त को एक रिपोर्ट के साथ भेजेगा जिसमें खाली सीटों की संख्या निर्दिष्ट की जाएगी। तदनुसार उपायुक्त अधिनियम की धारा 11 के अधीन कार्रवाई करेगा, जिसके प्रयोजन के लिए उपायुक्त विहित प्राधिकारी होगा।

(7) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि उपरोक्त नियम के अनुसार यदि वैध रूप से नामित उम्मीदवारों की संख्या उपायुक्त द्वारा भरी जाने वाली सीटों की संख्या से कम है, तो उपायुक्त अधिनियम की धारा 11 के तहत कार्रवाई कर सकता है। उनके अनुसार, वह नियमों के नियम 12 के उप-नियम (2) का लाभ तभी ले सकते हैं जब नामित उम्मीदवारों की संख्या सीटों की संख्या से कम हो न कि सीटों पर। एक पंच की मृत्यु का लेखा। 'नामित उम्मीदवार' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया था, लेकिन नियमों की योजना के अवलोकन से यह स्पष्ट था कि नामित उम्मीदवार नहीं कर सकता था। be; एक निर्वाचित पंच के साथ तुलनीय। वर्तमान मामले में, यह नहीं कहा जा सकता है कि चुनाव होने के बाद मृतक नामित उम्मीदवार था। चुनाव के बाद एक व्यक्ति की उम्मीदवारी समाप्त हो गई। प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील ने कहा कि मृतक पंच नहीं बना था क्योंकि उसे शपथ नहीं दिलाई गई थी! अधिनियम की धारा 9 और जब तक शपथ नहीं ली गई थी और नई पंचायत अस्तित्व में नहीं आई थी, तब तक

उन्हें पंच नहीं माना जाना था। उन्होंने पंजाब ग्राम पंचायत (हरियाणा) संशोधन अधिनियम, 1971 की धारा 5 की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया और कहा कि हरियाणा अधिनियम की धारा 5 के उपखंड (6) के तहत पंचों के चुनाव के तुरंत बाद, एक पंच का चुनाव किया जाना था। इस प्रकार, पंचायत का चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पंच और पंच का चुनाव किया जाता है। उन्होंने अधिनियम की धारा 9 के उपखंड (2) का भी उल्लेख किया, जिसमें यह उपबंध किया गया है कि पंच और पंच पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे, बशर्ते कि एक बहिष्कृत पंच जब तक सरकार अन्यथा निर्देश न दे, तब तक पद धारण करता रहे जब तक कि उसके उत्तराधिकारी ने शपथ न ले ली हो और कहा कि जब तक अधिनियम की धारा 9 के तहत कोई शपथ समारोह नहीं होता, तब तक नई पंचायत अस्तित्व में नहीं आई थी। उपरोक्त परिस्थितियों में, उन्होंने कहा कि प्रतिवादी नं। 5 नियम 12 के उपनियम (2) के अधीन वैध था क्योंकि मृतक उपरोक्त उपबंधों के अधीन पंच नहीं बना था। मुझे उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील के इस तर्क में कोई बल नहीं मिलता है। एक अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों पर सामंजस्यपूर्ण निर्माण किया जाना है। 'पंच' शब्द को अधिनियम की धारा 3 के उपखंड (i) में निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया गया हैः-"पंच का अर्थ है ग्राम पंचायत का सदस्य, या इस अधिनियम के तहत निर्वाचित या नियुक्त एक अदालती पंचायत और इसमें एक पंच शामिल है"।

'ग्राम पंचायत' को अधिनियम की धारा 3 के उपखंड (छ) में निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया गया हैः-'ग्राम पंचायत' का अर्थ है अधिनियम की धारा 5 के तहत गठित पंचायत।

(8) हरियाणा अधिनियम की धारा 5 ग्राम पंचायत की स्थापना और गठन से संबंधित है। नियम 1 से 41 तक नियम पंचों और पंचों के चुनाव से संबंधित हैं; नियम 42 आकस्मिक रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया से संबंधित है और नियम 44 से 49 चुनाव याचिकाओं से संबंधित हैं। हरियाणा अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (6) और नियमों के नियम 37 में यह कहा गया है कि पंचों के चुनाव के तुरंत बाद, उन्हें अपने बीच से एक पंच का चुनाव करना चाहिए। अल पंच को शपथ देने का अधिकार धारा 9 में दिया गया है और शपथ लेने से पहले पंचों द्वारा पंच का चुनाव किया जाता है।

प्रत्यर्थी के विद्वान वकील का यह तर्क कि जब तक किसी पंच को शपथ नहीं दिलाई जाती, वह अधिनियम में परिभाषित उस शब्द के अर्थ के भीतर पंच नहीं बन जाता है, असमर्थनीय है। नियमों के नियम 12 का उपखंड (2) उस स्थिति में पंच के नामांकन से संबंधित है जब वैध रूप से नामित उम्मीदवारों की संख्या सीटों की संख्या से कम है और उस मामले में लागू नहीं होगी जहां चुनाव पहले ही हो चुका है। मेरे विचार में, प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील के इस तर्क को कोई बल नहीं मिला है और मैं मानता हूं कि नियमों के नियम 12 के उपखंड (2) के तहत उपायुक्त द्वारा एक उम्मीदवार का नामांकन वर्तमान मामले में अवैध है।

(9) उत्तरदाताओं 5,6,7 और 8 के विद्वान वकील श्री आर. के. चोकर ने तब आग्रह किया कि उपायुक्त द्वारा की गई व्याख्या अंतिम थी जैसा कि नियमों के नियम 43 द्वारा विचार किया गया था। उनके अनुसार, यदि उन्होंने उस नियम की अपनी व्याख्या पर नियम 12 के उपनियम (2) के तहत निर्णय लिया था, तो उस पर किसी भी प्राधिकरण द्वारा सवाल नहीं उठाया जा सकता है। याचिकाकर्ता का विद्वान वकील इस स्थिति का विरोध करता है और प्रस्तुत करता है कि यदि व्याख्या प्रथम दृष्टया अवैध थी, तो रिट अधिकार क्षेत्र में यह न्यायालय इसे अवैध मान सकता है। मुझे श्री आर. के. चोकड़ के इस तर्क में भी कोई बल नहीं मिलता। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत यह न्यायालय इस मामले में जा सकता है कि क्या किसी विशेष प्रावधान की व्याख्या किसी प्राधिकरण द्वारा

सही तरीके से की गई है या नहीं। इसके अलावा, यदि नियम बनाने वाले प्राधिकरण का इरादा यही होता, तो नियम में यह कहा जा सकता है कि नियमों के तहत उपायुक्त का कोई भी निर्णय अंतिम होगा और कोई भी न्यायालय उस मामले का संज्ञान नहीं ले सकता है। नियम के पढ़ने से पता चलता है कि इसे एक अलग उद्देश्य के लिए तैयार किया गया था। नियम में कहा गया है कि यदि नियमों की व्याख्या के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तो इसे इच्छुक व्यक्ति या संबंधित अधिकारी द्वारा निर्णय के लिए उपायुक्त के पास भेजा जाएगा। यह स्पष्ट है कि उक्त नियम के तहत एक संदर्भ पर उपायुक्त द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा। यदि मामला उपायुक्त को नहीं भेजा जाता है, तो नियमों के नियम 43 का कोई अनुप्रयोग नहीं होगा। वर्तमान मामले में, मामले को स्वयं उपायुक्त या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा संदर्भित नहीं किया गया है। इसलिए, यह तर्क कि उसका उपरोक्त निर्णय अंतिम होगा, सही नहीं है।

(10) उपर्युक्त कारणों से, मैं इस याचिका को लागत के साथ स्वीकार करता हूं और 2 मई, 1972 के उपायुक्त के आदेश को रद्द करता हूं। वकील का शुल्क केवल एक सौ पचास रुपये है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कि सी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

पीयूष चौधरी
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
जगाधरी, हरियाणा